उत्तराखण्ड विधान सभा

उत्तराखण्ड विधान सभा
की कार्यसूची

गुरूवार, 30 आषाढ़, शक संवत्, 1938

(दिनांक : 21 जुलाई, 2016)

समय : 11 : 00 बजे पूर्वाह्न

1. शुभारम्भ ''वन्दे मातरम्'' (देखिये नत्थी **''क''**)।
2. अल्पसूचित प्रश्न (देखिए नत्थी **"ख"**)।
3. अन्य प्रश्न (देखिए नत्थी **"ग"**)
4. निधन के निदेश।
5. सचिव विधान सभा उत्तराखण्ड आवासीय विश्वविद्यालय विधेयक, 2016 जो कि विधान सभा द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2016 को पारित किया गया और जो ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद-200 के अन्तर्गत माननीय राज्यपाल से प्राप्त संदेश सहित विधान सभा के पुनर्विचार हेतु वापस प्राप्त हुआ है, को सदन के पटल पर रखेंगे।
6. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग का त्रयोदश वार्षिक प्रतिवेदन (दिनांक 01 अप्रैल, 2013 से 31 मार्च 2014 तक) एवं चतुर्दश वार्षिक प्रतिवेदन (दिनांक 01 अप्रैल, 2014 से 31 मार्च, 2015 तक) को सदन के पटल पर रखेंगे।
7. समाज कल्याण मंत्री, निःशक्तजन अधिनियम, 1995 की धारा-65 के अन्तर्गत आयुक्त निःशक्तजन उत्तराखण्ड का 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2013 तक तथा 01 अप्रैल, 2013 से 31 मार्च, 2014 तक का वार्षिक प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखेंगे।
8. मुख्यमंत्री, कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (2) के अधीन उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड का दसवां वार्षिक प्रतिवेदन (2010-2011), ग्यारहवां वार्षिक प्रतिवेदन (2011-2012), बारहवां वार्षिक प्रतिवेदन (2012-2013), तेरहवां वार्षिक प्रतिवेदन (2013-2014) तथा चौदहवां वार्षिक प्रतिवेदन (2014-2015) को सदन के पटल पर रखेंगे।
9. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड मोटरयान (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2015 को सदन के पटल पर रखेंगे।

10. सचिव, विधान सभा घोषित करेंगे कि:-

(1) भारतीय स्टाम्प (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक 2015 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 03 नवम्बर, 2015 को पारित किया गया था, पर माननीय राष्ट्रपति की अनुमति दिनांक 15 मार्च, 2016 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2016 का प्रथम अधिनियम बन गया।

(2) उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (संशोधन) विधेयक 2016 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 15 मार्च, 2016 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 29 मार्च, 2016 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2016 का दूसरा अधिनियम बन गया।

(3) उत्तराखण्ड जल प्रबन्धन और नियामक (संशोधन) विधेयक, 2016 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 15 मार्च, 2016 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 29 मार्च, 2016 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2016 का तीसरा अधिनियम बन गया।

(4) उत्तराखण्ड विद्युत उत्पादन पर जलकर (संशोधन) विधेयक, 2016 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 15 मार्च, 2016 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 29 मार्च, 2016 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2016 का चौथा अधिनियम बन गया।

(5) उत्तराखण्ड अन्य पिछडा वर्ग आयोग (संशोधन) विधेयक, 2016 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2016 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 29 मार्च, 2016 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2016 का पांचवा अधिनियम बन गया।

(6) उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद् विधेयक, 2016 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 15 मार्च, 2016 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 29 मार्च, 2016 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2016 का छठवां अधिनियम बन गया।

(7) उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2016 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 16 मार्च, 2016 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 29 मार्च, 2016 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2016 का सातवां अधिनियम बन गया।

(8) उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2016 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 16 मार्च, 2016 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 29 मार्च, 2016 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2016 का आठवां अधिनियम बन गया।

(9) उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग (संशोधन) विधेयक, 2016 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2016 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 02 अप्रैल, 2016 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2016 का नवां अधिनियम बन गया।

(10) उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2016 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2016 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 02 अप्रैल, 2016 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2016 का दसवां अधिनियम बन गया।

(11) उत्तराखण्ड पंचायतीराज विधेयक, 2016 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2016 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 04 अप्रैल, 2016 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2016 का ग्यारहवां अधिनियम बन गया।

(12) उत्तराखण्ड भूगर्भ जल (विकास एवं प्रबन्धन का विनियमन एवं नियंत्रण) विधेयक, 2016 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 16 मार्च, 2016 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 04 अप्रैल, 2016 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2016 का बारहवां अधिनियम बन गया।

(13) उत्तराखण्ड परिवहन और नागरिक अवस्थापना उपकर (संशोधन) विधेयक, 2016 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 16 मार्च, 2016 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 04 अप्रैल, 2016 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2016 का तेरहवां अधिनियम बन गया।

11. सदस्यों की गिरफ्तारी, निरोध व रिहाई की सूचनायें, यदि कोई हों।

12. श्री ललित फर्स्वाण, सदस्य, विधान सभा "जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र कपकोट के ग्राम पंचायत पोखरी को मोटर मार्ग से जोडने हेतु लिंक मोटर मार्ग की स्वीकृति के सम्बन्ध में" श्री ललित मोहन, निवासी ग्राम पोखरी, पो0 खन्तोली, तहसील काण्डा, जनपद बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

13. श्री ललित फर्स्वाण, सदस्य, विधान सभा "जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र कपकोट के ग्राम ढोक्टीगांव में खेल मैदान निर्माण के सम्बन्ध में" श्री पूरन सिंह दानू, निवासी ग्राम ढोक्टीगांव, पो0 बघर, तहसील कपकोट, जनपद बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

14. श्री ललित फर्स्वाण, सदस्य, विधान सभा "जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र कपकोट के ग्राम पंचायत पन्द्रहपाली के अन्तर्गत राजस्व ग्राम कुकडाडाण्डा में मिनी आंगनबाडी केन्द्र स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में" श्री रमेश चन्द्र सिंह हरडिया, ग्राम प्रधान निवासी पन्द्रहपाली तहसील एवं जनपद बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

15. श्री ललित फर्स्वाण, सदस्य, विधान सभा "जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र कपकोट के बनलेख तहसील दुग-नाकुरी में विद्युत उपकेन्द्र स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में" श्री जीवन सिंह कालाकोटी, निवासी ग्राम नाघर, जनपद बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

16. श्री ललित फर्स्वाण, सदस्य, विधान सभा "जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र कपकोट के ग्राम पंचायत मन्तोली के ईजरगांव में पेयजल योजना के निर्माण के सम्बन्ध में" श्री प्रकाश चन्द्र, ग्राम प्रधान, निवासी मन्तोली, विकासखण्ड/जनपद बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

17. श्री ललित फर्स्वाण, सदस्य, विधान सभा "जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र कपकोट के ग्राम शामा क्षेत्र के अन्तर्गत तल्लाभैसखाल से बगड़ लालपुल तक सी0सी0 मार्ग स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में" श्री गुलाब सिंह, निवासी ग्राम व पो0 शामा, तहसील कपकोट, जनपद बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

18. विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न, यदि कोई हों।

19. नियम 315 के खण्ड (13) व (14) के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।

20. मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य, यदि कोई हों।

21. उच्च शिक्षा मंत्री, हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय विधेयक 2016 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मागेंगे।

22. उच्च शिक्षा मंत्री, हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय विधेयक 2016 को पुरःस्थापित करेंगे।

23. संसदीय कार्य मंत्री, रास बिहारी बोस सुभारती विश्वविद्यालय विधेयक 2016 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मागेंगे।

24. संसदीय कार्य मंत्री, रास बिहारी बोस सुभारती विश्वविद्यालय विधेयक 2016 को पुरःस्थापित करेंगे।

25. वित्त मंत्री, उत्तराखण्ड बेनामी लेन-देन (प्रतिषेध) विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मागेंगे।

26. वित्त मंत्री, उत्तराखण्ड बेनामी लेन-देन (प्रतिषेध) विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित करेंगे।

27. शहरी विकास मंत्री, उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (संशोधन) विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मागेंगे।

28. शहरी विकास मंत्री, उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (संशोधन) विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित करेंगे।

29. वित्त मंत्री, उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक 2016 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मागेंगे।

30. वित्त मंत्री, उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक 2016 को पुरःस्थापित करेंगे।

31. वित्त मंत्री, उत्तराखण्ड आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मागेंगे।

32. वित्त मंत्री, उत्तराखण्ड आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित करेंगे।

33. उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 2005 के नियम-315 के खण्ड (22) के अन्तर्गत मा0 अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।

(कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशों के लिए देखिए नत्थी-**"घ"**)

34. कार्यस्थगन का प्रस्ताव, यदि कोई हो।

35. वित्त मंत्री उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मागेंगे।

36. वित्त मंत्री उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित करेंगे।

37. वित्त मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2016 पर विचार किया जाय।

38. वित्त मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2016 पारित किया जाय।

39. उच्च शिक्षा मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड आवासीय विश्वविद्यालय विधेयक, 2016 जो कि विधान सभा द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2016 को पारित किया गया और जो "भारत का संविधान" के अनुच्छेद-200 के अन्तर्गत माननीय राज्यपाल से प्राप्त संदेश सहित विधान सभा के पुनर्विचार हेतु वापस प्राप्त हुआ है, पर यथा निदेशों के अनुसरण में विचार किया जाय। **(30 मिनट)**

40. उच्च शिक्षा मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड आवासीय विश्वविद्यालय विधेयक, 2016 जो कि विधान सभा द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2016 को पारित किया गया और जो "भारत का संविधान" के अनुच्छेद-200 के अन्तर्गत माननीय राज्यपाल से प्राप्त संदेश सहित विधान सभा के पुनर्विचार हेतु वापस प्राप्त हुआ है, पर यथा निदेशों के अनुसरण में पारित किया जाय।

41. शहरी विकास मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड राज्य की नागर निकायों में अवस्थित मलिन बस्तियों के सुधार, विनियमितिकरण, पुनर्वास, पुनर्व्यस्थापन एवं अतिक्रमण निषेध विधेयक, 2016 पर विचार किया जाय। **(30 मिनट)**

42. शहरी विकास मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड राज्य की नागर निकायों में अवस्थित मलिन बस्तियों के सुधार, विनियमितिकरण, पुनर्वास, पुनर्व्यस्थापन एवं अतिक्रमण निषेध विधेयक, 2016 पारित किया जाय।

43. कृषि मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड पर्वतीय क्षेत्रों के लिए जोत चकबन्दी विधेयक, 2016 पर विचार किया जाय। **(30 मिनट)**

44. कृषि मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड पर्वतीय क्षेत्रों के लिए जोत चकबन्दी विधेयक, 2016 पारित किया जाय।

45. नियम 53 के अन्तर्गत सूचनाएं, यदि कोई हों।

आज्ञा से,

(जगदीश चन्द्र)
सचिव।

देहरादून :
दिनांक : 20 जुलाई, 2016

उत्तराखण्ड विधान सभा

नत्थी "क"

वन्दे मातरम्

वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्।।

सुजलाम्।

सुफलाम्।

मलयज शीतलाम्।

शष्य श्यामलाम्।

मातरम्। वन्दे मातरम्।।

शुभ्र-ज्योत्सना-पुलकित-यामिनीम्

फुल्ल-कुसुमित-द्रुमदल-शोभिनीम्

सुहासिनीम्

सुमधुर भाषिणीम्

सुखदाम्

वरदाम्

मातरम्। वन्दे मातरम्।।

प्रथम सत्र, 2016
का तृतीय गुरूवार

उत्तराखण्ड विधान सभा

उत्तराखण्ड विधान सभा
की कार्यसूची

गुरूवार, 30 आषाढ़, शक संवत्, 1937

(दिनांक : 21 जुलाई, 2016)

नत्थी–"ख"

अल्पसूचित प्रश्न

श्री यतीश्वरानन्द
17.06.2016

सहकारिता

**क्या सहकारिता मंत्री अवगत हैं कि उत्तराखण्ड सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण के अध्यक्ष के पद का कार्यभार सचिव सहकारिता विभाग द्वारा दिनांक 04.06.2016 द्वारा ग्रहण कर लिया गया? यदि हां, तो यह राज्य में लागू किस कानून के अन्तर्गत किया गया? क्या इस संबंध में मंत्री–मण्डल का अनुमोदन प्राप्त किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार यह भी बताने का कष्ट करेगी कि क्या प्राधिकरण के अध्यक्ष का कार्यभार सहकारिता विभाग के अधिकारी को सौंपे जाने के आदेश क्या उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये थे? यदि नहीं, तो भारत का सतानवेवां संशोधन अधिनियम की मूल भावना के विपरीत कार्य करने का क्या औचित्य है तथा इस अनियमितता का निवारण कब तक एवं किस प्रकार किया जायेगा?

नत्थी–"ग"

तारांकित प्रश्न

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना 10.02.2016	*01. क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि प्रदेश में सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों का स्वास्थ्य रिकार्ड आन लाइन किया जा रहा है जिसमें मुख्यतः ब्लड ग्रुप की जांच कराना आवश्यक है? क्या यह सत्य है कि अधिकांश सरकारी विद्यालयों के आस पास सरकारी चिकित्सालय नहीं है? यदि कहीं चिकित्सालय हैं तो वहां इस प्रकार की ब्लड इत्यादि की जांच की सुविधा नहीं है जिसके परिणाम स्वरूप लोगों को प्राईवेट में जांच आदि करानी पड़ रही है जिससे समय एवं धन की बर्बादी हो रही है? क्या सरकार स्वास्थ्य विभाग के साथ तालमेल कर विद्यालयों में ही इस प्रकार की जांच कराने की व्यवस्था करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	शिक्षा
श्री सुरेन्द्र सिंह जीना 16.02.16	*02. क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9 व 10 के छात्रों को अंग्रेजी विषयों की दक्षता प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा 750 विद्यालयों का चयन कर दिसम्बर, 2014 में जो उन्नति प्रोजेक्ट प्रारम्भ किया गया था उसे मार्च, 2015 में ही बन्द कर दिया गया है? क्या मंत्री जी इस बात से भी अवगत हैं कि प्रदेश के छात्रों के लिए जहां यह प्रोजेक्ट अत्यन्त लाभकारी था वहीं इससे प्रदेश के 750 युवा बेरोजगारों को रोजगार भी मिल रहा था? यदि हां, तो क्या सरकार छात्र हित को ध्यान में रखते हुए शीघ्र ही "उन्नति प्रोजेक्ट" या अन्य कोई और अधिक लाभकारी योजना चलाते हुए इन 750 अनुदेशकों को भी रोजगार प्रदान करेगी? यदि नहीं, तो क्यों ?	शिक्षा
श्री सुरेन्द्र सिंह जीना 16.02.16	*03. क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे, कि प्रदेश में ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या मानकों के अनुसार पेयजल की उपलब्धता नहीं हैं? यदि हॉ, तो प्रदेश में कुल कितने गॉव व कुल कितनी बस्तियॉ पेयजल के संकट से प्रभावित हैं? क्या सरकार पेयजल के संकट को दूर करने हेतु कोई योजना बना रही हैं? यदि हॉ, तो क्या? यदि नहीं तो क्यों ?	पेयजल
श्री पूरन सिंह फर्त्याल 24.02.16	*04. क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि जनपद चम्पावत के अन्तर्गत लोहाघाट नगर तथा आसपास के लोगों के लिए सरयू नदी से लिफ्ट पेयजल योजना का निर्माण किये जाने की मांग क्षेत्रवासियों के द्वारा कई वर्षों से की जा रही है? क्या सरकार सरयू नदी से लिफ्ट योजना का निर्माण करायेगी? यदि हॉ, तो क्या? यदि नहीं तो क्यों?	पेयजल
श्री पूरन सिंह फर्त्याल 24.02.16	*05. क्या शिक्षा मंत्री अवगत है कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रशिक्षित बी0पी0एड0 / एम0पी0एड बेरोजगार लम्बे समय से आन्दोलन कर रहे हैं क्या सरकार व्यायाम शिक्षकों की नियुक्ति करने पर विचार कर रही है? क्या सरकार प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारों की संख्या को देखते हुए उनके लिए कोई ठोस कार्य योजना बना रही है? यदि हॉ तो कार्य योजना कब तक तैयार हो जायेगी? यदि नहीं तो क्यों ?	शिक्षा

डा0प्रेम सिंह राणा 19.02.2016	5.	क्या युवा कल्याण मंत्री जी अवगत हैं कि उधमसिंहनगर जिले के नानकमत्ता में एक भी खेल स्टेडियम नहीं है? क्या सरकार खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए नानकमत्ता में एक मिनी खेल स्टेडियम बनवाने पर विचार कर रही है? यदि हॉ तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों ?	**युवा कल्याण**
श्री ललित फर्स्वाण 04.03.16	6.	क्या शिक्षा मंत्री अवगत है कि जनपद बागेश्वर के रा0बा0इ0का0 दोफाड़ में विज्ञान वर्ग इण्टर स्तर पर स्वीकृत हो चुका है? यदि हॉ तो विद्यालय में इण्टर स्तर पर विज्ञान वर्ग की कक्षा कब से संचालित होगी?	**शिक्षा**
श्री राजकुमार ठुकराल 10.03.16	7	क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि विधान सभा 66, रूद्रपुर जिला मुख्यालय के वार्ड न0–16 आदर्श इन्दिरा बंगाली कालोनी स्थित भवन में राजकीय प्राथमिक विद्यालय प्रारम्भ होना व्यापक जनहित में है नगर के वार्ड न0–12,13,14,15 व 16 इन पॉचों वार्डों में एक भी राजकीय प्राथमिक विद्यालय नहीं है? वार्ड न0–16 आदर्श इन्दिरा बंगाली कालोनी में भूमि व भवनदान में निशुल्क मिलने के बावजूद भी राजकीय प्राथमिक विद्यालय क्यों नहीं प्रारम्भ हो रहा है? क्या सरकार रूद्रपुर के वार्ड न0–16 आदर्श इन्दिरा बंगाली कालोनी में राजकीय प्राथमिक विद्यालय प्रारम्भ करेगी? यदि हॉ तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों ?	**शिक्षा**

नत्थी–''घ''

कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनॉक 19 जुलाई, 2016 की बैठक में दिनॉक 21 तथा 22 जुलाई, 2016 के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है:–

जुलाई, 2016

21 गुरूवार

(1) औपचारिक कार्य।

(2) 1. उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2016 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, विचार एवं पारण।

2. उत्तराखण्ड आवासीय विश्वविद्यालय विधेयक, 2016 जो कि विधान सभा द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2016 को पारित किया गया और जो ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद–200 के अन्तर्गत माननीय राज्यपाल से प्राप्त संदेश सहित विधान सभा के पुनर्विचार हेतु वापस प्राप्त हुआ है, पर यथा निदेशों के अनुसरण में विचार। (30मिनट)

3. उत्तराखण्ड राज्य की नागर निकायों में अवस्थित मलिन बस्तियों के सुधार, विनियमितिकरण, पुनर्वास, पुनर्व्यस्थापन एवं अतिकमण निषेध विधेयक, 2016 का विचार एवं पारण। (30 मिनट)

4. उत्तराखण्ड पर्वतीय क्षेत्रों के लिए जोत चकबन्दी विधेयक, 2016 का विचार एवं पारण। (30 मिनट)

22 शुकवार

(1) विधायी कार्य।

(2) असरकारी कार्य (आधा दिवस)

1. असरकारी संकल्प

(1) डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल, पूर्व सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 07 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा:–

''इस माननीय सदन की सर्व–सम्मत राय है कि राज्य सरकार द्वारा जनपद चमोली के अन्तर्गत गैरसैंण (चन्द्रनगर) में उत्तराखण्ड विधान सभा का ग्रीष्मकालीन सत्र प्रतिवर्ष आयोजित किये जाने के निर्णय के दृष्टिगत प्रदेश की वर्तमान अस्थाई राजधानी देहरादून को राजधानी क्षेत्र की सभी सुविधाओं से परिपूर्ण होने के आधार पर स्थाई राजधानी घोषित किया जाय।''

(2) श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 11 जून, 2014 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा:–

''यह सदन भारत सरकार से निवेदन करता है कि गंगा नदी के जल की स्वच्छता अभियान की भांति ''यमुना स्वच्छता अभियान स्वीकृत किया जाय। इस अभियान के कियान्वयन के लिये ''गंगा विकास प्राधिकरण'' की भांति ''यमुना विकास प्राधिकरण'' का गठन भी किया जाय।''(15 मिनट)

(3) श्री बिशन सिंह चुफाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2015 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा:–

'इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में बन्दरों की जनसंख्या को कम करने के लिए एक अलग से नीति बनायी जाये।''(15 मिनट)

(4) श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2015 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा:–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि राज्य में स्थापित उद्योगों में स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिये प्रभावी नीति हेतु इस सदन की समिति बनायी जाये।'' (15 मिनट)

(5) श्री महावीर सिंह रांगड, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 11 मार्च, 2016 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा:–

''इस सदन का यह सुनिश्चित मत है कि राज्य सरकार उत्तराखण्ड के विकेन्द्रीयकृत विकास हेतु संविधान के अनुच्छेद 243 की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिये त्रिस्तरीय पंचायतों को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराये।'' (15 मिनट)

(6) श्री पुष्कर सिंह धामी, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 11 मार्च, 2016 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी पर चर्चा:–

''यह सदन केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि उत्तराखण्ड में टनकपुर स्थित 'मां पूर्णागिरी धाम' हेतु राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली एवं प्रदेश की राजधानी देहरादून से रेलवे लाईन का निर्माण, क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थिति एवं जन सामान्य के हित में तथा पर्यटन के दृष्टि से अत्यन्त आवश्यक है।''(15 मिनट)

(5) श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 11 मार्च, 2016 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा:–

"यह सदन भारत सरकार से प्रस्ताव करता है कि मध्याह्न भोजन में व्याप्त अनियमितताओं एवं अव्यवहारिकता को दृष्टिगत रखते हुए, इस योजना के स्थान पर किसी अन्य योजना को लागू करने पर विचार करें। " (15 मिनट)

3. नियम–54 की सूचना

(1) श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा:–

"जनपद देहरादून के पछवादून क्षेत्र की नदियों में चुगान का कार्य जो गढ़वाल मण्डल विकास निगम तथा वन विकास निगम द्वारा किया जा रहा था, के तीन वर्षो से पूर्णतया बन्द होने के कारण निर्माण सामग्री की लागत बढ़ जाने, सरकारी निर्माण कार्य बाधित होने तथा राजस्व की हानि होने के संबंध में।" (15 मिनट)

(2) श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा:–

"प्रदेश में ऊर्जा की कमी को देखते हुए राज्य में ऊर्जा आधारित विकास की सम्भावनाओं पर विचार हेतु एक समिति बनायी जाय जो सरकार को एक निश्चित समय में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।" (30 मिनट)

(3) डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल, पूर्व सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2014 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा:–

"उत्तराखण्ड राज्य में उपलब्ध भूमि की सीमित सीमा को देखते हुये कृषि भूमि का अनियंत्रित आवासीय प्रयोग रोकने हेतु प्रदेश में आवासीय सुविधाओं के विकास के लिए एक समग्र नीति निर्धारित करने तथा उत्तराखण्ड में भूकम्प की दृष्टि से बहुमंजिला भवन निर्माण की नीति निर्धारण करने।"

(4) डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल, पूर्व सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 27 नवम्बर, 2014 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा :–

"राज्य के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक ऐसी बस्तियां बसी हुयी हैं, जिनके निवासियों के पास उस भूमि का कोई मालिकाना प्रमाण पत्र नही हैं, जिस पर उन्होंने अपने रिहायशी मकान बनाये हैं।

ये आवासीय ईकाईयां अस्थायी, अर्द्ध स्थायी तथा स्थायी तीनों संरचनाओं में हैं। ये बस्तियां नदियों के किनारे, सड़कों के किनारे तथा अनुपयुक्त पड़ी राजकीय या विभागीय भूमियों पर विकसित हुयी हैं।

कुछ नगर निकायों में ऐसी बस्तियों को मलिन बस्ती के रूप में अधिसूचित भी किया गया है, परन्तु ग्रामीण क्षेत्र जो ग्राम पंचायतों के अन्तर्गत आता है, में ऐसी कोई अधिसूचना की कार्यवाही नही की गयी है।